

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की वधायी शक्त की पुष्टि

स्रोत: द हिंदू

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की वधायी शक्त की पुष्टि 2012

नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामला, 2012

- परिचय: वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को माओवाद-विरुद्धी अभियानों में विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के उपयोग को रोकने का निर्देश दिया था, क्योंकि न्यायालय ने कहा था कि विशेष पुलिस अधिकारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है तथा ये संवधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
 - इन निर्देशों के बावजूद, छत्तीसगढ़ सरकार ने बाद में छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 लागू किया जिससे पूर्ववर्ती सलवा जुद्धम और कोया कमांडो के समान एक सहायक बल का गठन संभव हो गया।
 - याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यह नया विधान सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के आदेश का उल्लंघन करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका को खारज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने उसके वर्ष 2011 के निर्देशों का अनुपालन किया है और अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसने कहा कि राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, जब तक कि वे असंवैधानिक या अधिकार-वर्हीन न हों।
 - शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वधायी कार्यों को केवल संवैधानिक वैधता या वधायी क्षमता के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है।
 - इसने इस बात पर बल दिया कि वधायिका अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक कानून बना सकती है, किसी नरिणय के आधार को हटा सकती है, या नरिसत किये गए कानूनों को वैध बना सकती है।
- समान न्यायिक नरिणय: 2005 (1996) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी नरिणय को सीधे खारज किये बिना उसके आधार को हटाने के लिये कानून में संशोधन करने या पूर्वव्यापी कानून बनाने की वधायिका की शक्ति को बरकरार रखा है।

सलवा जुद्धम और कोया कमांडो

- सलवा जुद्धम का गठन छत्तीसगढ़ में वर्ष 2005 में नक्सलियों के विरुद्ध एक राज्य प्रायोजित नगिरानी आंदोलन के रूप में किया गया था। यह ग्रामीण भारत के कुछ राज्यों में माओवादी विचारधारा वाला एक गैर-वामपंथी आंदोलन है, जिसने सरकार ने अपनी हसिक गतविधियों के कारण आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
- कोया कमांडो मुख्य रूप से कोया जनजात के जनजात के युवा थे, जिन्हें नक्सल विरुद्धी अभियानों में सहायता के लिये सलवा जुद्धम आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के रूप में भरती किया गया था।

और पढ़ें: [राज्य वधायकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय](#)